RCMSDAOFF24077625

## आदेश फलक

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी(गिरिडीह)

वाद संख्या 21/2024

28.05.24
11.06.24
18.06.24
25.06.24
02.07.24
05.07.24
06.07.24

06/07/24

**दिनेश प्रसाद** – प्रथम पक्ष

बनाम

**शैलेश भाबई नागीन दास साह वगैरह** – द्वितीय पक्ष

**धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।**

आवेदक, प्रथम पक्ष **दिनेश प्रसाद** के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समर्पित आवेदन में उल्लेखित प्रतिवेदन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि –

*वादगत भूमि के संबंध में उभय पक्षकारों के बीच विवाद है, जिसके कारण उभय पक्षों में तनाव को देखते हुए विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु मैं, स्वतः संज्ञान लेकर द0प्र0सं0 की धारा 144 के वादगत भूमि पर द0प्र0सं0 की धारा 144 की उपधारा 1 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ किया जाता है*

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति–भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति–भंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है साथ हीं उभय पक्ष से दिनांक 28/05/2024 को कारणपृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

**वादगत भूमि का विवरण**

| मौजा | थाना नं. | खाता नं. | प्लॉट नं. | वादगत रकवा | चौहद्दी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उतर | दक्षिण | पूरब | पश्चिम |
| बिरनगड्डा | 98 | 18 | 257 | 30 डी0 | समर्पित आवेदन में उल्लेख है, के अनुसार | | | |
| | | | 276 | 38.50 डी0 | | | | |
| | | | 277 | 1.50 डी0 | | | | |
| | | | 306 | 01 डी0 | | | | |
| | | | 276/460 | 2.50 डी0 | | | | |
| | | | 307 | 1.50 डी0 | | | | |
| | | | 257 | 84 डी0 | | | | |
| | | | 273 | 2.50 डी0 | | | | |
| | | 17 | 262 | 1.50 डी0 | | | | |
| | | | 270 | 79.50 डी0 | | | | |
| | | | 271 | 49 डी0 | | | | |
| | | | 272 | 03 डी0 | | | | |
| | | | 250 | 02 डी0 | | | | |

**प्रथम पक्ष–**

1. दिनेश प्रसाद पिताः यमुना प्रसाद साह

साकिनः पचम्बा, थानाः पचम्बा, जिलाः गिरिडीह।

**द्वितीय पक्ष–**

1. शैलेश भाई नगीन दास साह पिताः नगीन दास
2. रितेश कुमार मंदिलवर पिताः जयप्रकाश लाल

दोनों साकिनः मधुबन, थानाः मधुबन, जिलाः गिरिडीह।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 07/05/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

(हस्ताक्षर) 07/05/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

28.05.24 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा आवेदन समर्पित। दि० 11.06.24 को रखें।

(हस्ताक्षर) 28/05/24
SDM
Dumri

| | |
|---|---|
| 11.06.24 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दि० 18.06.2024 को उपस्थित करें। <br> 11/06 <br> SDM, Dumri |
| 18.06.24 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिरी। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दि० 25.06.24 को रखें। <br> 18/06 <br> SDM, Dumri |
| 25.06.24 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दि० 02.07.24 को रखें। पुनः एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित। <br> 25/06 <br> SDM, Dumri |
| 02.07.24 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिरी। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दि० 05.07.24 को आदेशार्थ रखें। <br> 02/07/24 <br> SDM, Dumri |
| 05.7.24 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के तरफ से भा० ना० सु० सं० की धारा 164 के तहत कार्रवाई हेतु आवेदन समर्पित। दि० 06.7.24 को रखें। <br> 05/07/24 <br> SDM, Dumri |
| 06.07.24 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के तरफ से भा० ना० सु० सं० 2023 की धारा 164 के तहत समर्पित आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद को धारा 164 के तहत परिवर्तित किया जाता है। तब तक के लिए वादगत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए प्रतिबंधित [illegible] उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दि० [illegible] को उपस्थित करें <br> 06/07/24 <br> SDM, Dumri |

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.08.03 17:55:14 +05:30
Location: 192.168.1.3